झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–22 वर्ष 2017

श्री श्रवण साहू उर्फ सबरन साहू, पुत्र राम नंदन साहू उर्फ रामचंद्र साहू, निवासी ग्राम–वृंदा भंडार टोली, डाकघर, थाना और जिला–गुमला का प्रतिनिधित्व उनके प्राकृतिक अभिभावक और पिता श्री राम नंदन साहू उर्फ रामचंद्र साहू, पुत्र स्वर्गीय माधो साहू, निवासी ग्राम–वृंदा भंडार, डाकघर, थाना और जिला–गुमला (झारखण्ड) द्वारा किया गया

.... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री के0एस0 नंदा, अधिवक्ता।

राज्य के लिएः– श्रीमती लिली सहाय, ए0पी0पी0।

03/24.01.2017 याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री के0एस0 नंदा और राज्य के लिए श्रीमती लिली सहाय, विद्वान ए0पी0पी0 को सुना गया।

यह आवेदन गुमला थाना काण्ड संख्या 273/2010 से उत्पन्न जी0आर वाद संख्या 836/2010 में विद्वान प्रधान दण्डाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, गुमला द्वारा दिनांक 21.01.2016 को पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा जमानत के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया आवेदन खारिज कर दिया गया है। आगे, आपराधिक अपील संख्या 45/2016 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा दिनांक 18.11.2016 के

फैसले को आगे चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा विद्वान प्रधान दण्डाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, गुमला द्वारा दिनांक 21.09.2016 को पारित आदेश की पुष्टि की गई है।

याची के विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत किया गया है कि केवल इस आरोप पर कि याची ने विवाह के बहाने मुखबिर के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए थे, याची 09.01.2016 से हिरासत में है। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता का पिता याची की जिम्मेदारी लेगा और उसे किसी भी अवांछित व्यक्ति के संपर्क में आने की अनुमति नहीं देगा।

विद्वान ए0पी0पी0 ने याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता एक साल से अधिक समय से हिरासत में है। याचिकाकर्ता को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा किशोर घोषित कर दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह आरोप सूचक के साथ विवाह करने के बहाने लगभग पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए शारीरिक संबंध रखने का है।

याचिकाकर्ता के निरोध की अवधि और मामले के तथ्यात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, यह याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार बनाता है। तदनुसार, इस पुनरीक्षण आवेदन की अनुमति देते हुए आपराधिक अपील संख्या 45/2016 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा दिनांक 18.11.2016 को पारित निर्णय और गुमला थाना काण्ड संख्या 273/2010 से उत्पन्न जी0आर0 वाद संख्या 836/2010 में विद्वान

प्रधान दण्डाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, गुमला द्वारा दिनांक 21.09.2016 को पारित आदेश को एतदद्वारा रद्द और अपास्त किया जाता है।

याचिकाकर्ता को गुमला थाना काण्ड संख्या 273/2010 से उत्पन्न जी0आर0 वाद संख्या 836/2010 के संबंध में विद्वान प्रधान दण्डाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, गुमला की संतुष्टि के लिए रू0 10,000/– (दस हजार) रूपये के दो जमानत बंध के साथ समान राशि की दो प्रतिभूतियों को प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, इस शर्त के साथ कि याचिकाकर्ता के पिता याचिकाकर्ता को एक सुरक्षित स्थान पर रखेंगे और उसे किसी भी आपराधिक व्यक्ति से मिलने की अनुमति नहीं देंगे और आगे निर्देश दिया जाता है कि वह संबंधित मामले में जांच पूरी होने तक प्रत्येक/नियत तारीख को विद्वान प्रधान दण्डाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, गुमला के समक्ष याचिकाकर्ता को पेश करें।

(आर0 मुखोपाध्याय, न्याया0)